महत्वपूर्ण
ई0मेल

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–03 / परि0 (योजना)–14–14 / 2018 7481 पटना, दिनांक– 27/11/18

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।

विषय : "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने पर मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक–1824, दिनांक–24.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की जाँच के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है कि आवासीय प्रमाण–पत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत किया जाए या नहीं।

इस संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लाभुक के चयन के लिए आवेदक के पास आवेदन करने के पूर्व की तिथि को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत के लिए आवेदन किया गया है, लाभुक को रिक्ति की कोटि का होना चाहिए और विहित उम्र का मानदण्ड पूरा करना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र वरीयता के निर्धारण के लिए लिया जाना आवश्यक है।

यदि आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के समय चालक अनुज्ञप्ति धारक हो और उम्र का मानदण्ड पूरा करता हो तो अन्य प्रमाण–पत्र चयन के पूर्व आवेदक से प्राप्त करते हुए चयन पर यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,
27/11/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

महत्वपूर्ण
ई०मेल

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–03 / परि० (योजना)–14–14 / 2018 **पटना, दिनांक–....................**

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।

विषय : **''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने पर मार्गदर्शन देने के संबंध में।**

प्रसंग : **आपका पत्रांक–1824, दिनांक–24.11.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की जाँच के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है कि आवासीय प्रमाण–पत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आवेदन स्वीकृत किया जाए या नहीं।

इस संबंध में कहना है कि ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' के लाभुक के चयन के लिए आवेदक के पास आवेदन करने के पूर्व की तिथि को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए जिस पंचायत के लिए आवेदन किया गया है, लाभुक को रिक्ति की कोटि का होना चाहिए और विहित उम्र का मानदण्ड पूरा करना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र वरीयता के निर्धारण के लिए लिया जाना आवश्यक है।

यदि आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के समय चालक अनुज्ञप्ति धारक हो और उम्र का मानदण्ड पूरा करता हो तो अन्य प्रमाण–पत्र चयन के पूर्व आवेदक से प्राप्त करते हुए चयन पर यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 7481 पटना, दिनांक :– 27/11/18

प्रतिलिपि :–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/18

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।